

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 70/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान



1 अब्दुल गनी पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा -प्रार्थी

बनाम

- 1 सलीम खां पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 2 युसुफ खां पिता साबीर खा मुसलमान निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 3, मासुम अली पिता साबीर खां मुसलमान निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 4 सम्पत सिंह पिता कालु सिंह भण्डारी निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 5 गोपाल पिता उगमा जाट निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 6 तेजु पिता उगमा जाट निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 7 काना पिता छोटु माली निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 8 गोपाल पिता भंवर लाल महाजन निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 9 छोगा पिता मन्ना बंजारा निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 10 किशोर पिता फोज सिंह निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 11 धन सिंह पिता माधो सिंह निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 12 भंवर सिंह ईश्वर सिंह निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 13 दल्ला पिता हजारी बंजारा निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 14 भैरु सिंह पिता धन्न सिंह निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 15 सदा कंवर बेवा डुंगर सिंह राजपूत निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 16 अर्जुन सिंह पिता ईश्वर सिंह राजपूत निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 17 महादेव पिता कालु जाट निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 18 हरदेव पिता धन्ना माली निवासी मुशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा।
- 19 तहसीलदार बनेड़ा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता प्रार्थी:- कृष्णकुमार जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 07/03/2025

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 02 के आराजी नम्बर 1772/2, 2251/2, 2265/2, 2275, 2388/2, 2767, 535/2, 976/2 कुल किता-8 कुल रकबा 2.4155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 02 के आराजी नम्बर 1772/2, 2251/2, 2265/2, 2275, 2388/2, 2767, 535/2, 976/2 कुल किता-8 कुल रकबा 2.4155 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 02 के आराजी नम्बर 1772/2, 2251/2, 2265/2, 2275, 2388/2, 2767, 535/2, 976/2 कुल किता-8 कुल रकबा 2.4155 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक उपरेडा को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक उपरेडा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेडा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।



(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा